न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत महारकलां)

मु.न. 77/2016

उनवान

1. गणपत पुत्र सेडूराम, जाति माली, निवासी म्हारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी /वादी

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र सेडूराम जाति माली, निवासी म्हारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमति लादी पत्नि रामेश्वर, जाति माली, निवासी म्हारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उप–पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 27.05.2017

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत महारकलां में पेश हुई। प्रार्थी /वादी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी/वादी वाके ग्राम म्हारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का पालन–पोषण करता चला आ रहा हैं।

वाके ग्राम म्हारकलां तहत पटवार हल्का म्हारकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 196 के हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 546 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584/1673 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 4 का कुल रकबा 0.26 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 197 के खसरा नम्बर 566/1674 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 576 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 581 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 583 रकबा 0. 39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 591 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 699/1714 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 15 का कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिन उक्त दोनों खातों में प्रार्थी/वादी का 1/8, 1/8 हिस्सा निहित है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 5

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

ता 22 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार हैं। उक्त आराजीयात सम्पूर्ण ही वाद हाजा में वादग्रस्त है जिसे प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में भूमि वादग्रस्त सम्बोधित किया गया हैं।

भूमि वादग्रस्त में प्रार्थी/वादी बाहमी बंटवारे व अपने हिस्से अनुसार काबिजकाश्त हो हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा प्रार्थी/वादी व अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 22 ने मौके पर भूमि वादग्रस्त को बाहमी बंटवारे अनुसार बांट रखी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ हैं।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त का बाहमी बंटवारे अनुसार बंटवारा करवाने हेतु सहमत थे जिस बाबत प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 22 से कई मर्तबा भूमि वादग्रस्त का विधिवत तकासमा करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 22 हमेशा ही प्रार्थी/वादी को यह आश्वासन देते रहे कि आप तो अपने हिस्से पर काबिजकाश्त हो ही, हम अतिशीघ्र आपसी सहमति से तकासमा करवा लेंगे, जिस पर प्रार्थी/वादी सद्भावना पूर्वक विश्वास करता चला आया चूंकि पूर्व में अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 22 ने प्रार्थी/वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान एवं दखलन्दाजी नहीं की।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के मन में कतई कोई बेईमानी नहीं रही थी किन्तु गत वर्षों में भूमि वादग्रस्त की बाजारू कीमतों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की नियत में फितूर आ गया तथा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 भूमि वादग्रस्त में निहित प्रार्थी/वादी के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की भूमि में प्रार्थी/वादी के कृषि कार्य करने में, खेतों में आने–जाने हेतु विद्यमान रास्ते में व्यवधान कारित करने लगे जिस कम में गत दिनांक 17.06.2016 को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र भींवाराम, अर्जुन, अशोक पुत्र अर्जुन, मोहन, सोहन पुत्रान भींवाराम, विकास, नानू पुत्रान अर्जुन एकराय हो हाथों में लाठियां लेकर आये तथा प्रार्थी/वादी के पुत्र कानाराम, किशन व पत्नि सरजूदेवी तथा प्रार्थी/वादी के साथ गाली–गलौच करने लगे। प्रार्थी/वादी ने मना किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थी/वादी व उसके परिवार के साथ लात, घूंसो से मारपीट की। भींवाराम ने प्रार्थी/वादी की पत्नि के गले से चांदी की चेन तोड ली तथा प्रार्थी/वादी की पत्नि के विरोध करने पर भींवाराम ने प्रार्थी/वादी की पत्नि के सिर पर पत्थर की मारी जिससे प्रार्थी/वादी की पत्नि का सिर फट गया तथा अर्जुन ने प्रार्थी/वादी के पुत्र कानाराम के गले से चांदी की चेन तोड ली, अशोक ने प्रार्थी/वादी के साथ लाठी व लात, घूंसो से मारपीट की। उक्त लोग

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

जाते–जाते धमकी देकर गये कि रास्ता बंद करेंगे तथा थडी को जला देंगे जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी/वादी के पुत्र किशन ने मुकामी पुलिस थाना सामोद में दी हैं, इसके पश्चात भी दिनांक 21.06.2016 को अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अपने साथ दीगर अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि वादग्रस्त के मौके पर आये तथा आते ही भूमि वादग्रस्त की नाप–जोख करने लगे जिस पर प्रार्थी/वादी ने नाप–जोख का कारण पूछा तो अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने ऐलानिया तौर पर कहा कि वे भूमि वादग्रस्त का बेचान छोटे–छोटे भूखण्डों में कर रहे हैं जिस पर प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 से निवेदन किया कि वे पहले भूमि वादग्रस्त का विधिवत रूप से तकासमा करवा लें, फिर बेचान करें जिस पर अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 उग्र हो गये तथा प्रार्थी/वादी को ऐलानियां धमकी दी कि वे तो बिना तकासमा करवाये ही प्रार्थी/वादी के हिस्से में रोड पर आई भूमि वादग्रस्त को छोटे–छोटे भूखण्डों में परिवर्तित करा शीघ्र ही बेचान करेंगे तथा प्रार्थी/वादी का रास्ता बन्द कर देंगे जिस कारण वाद हाजा मय प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश करना लाजमी आया हैं।

प्रार्थी/वादी को वर्णित प्रकार अनुतोष प्रदान नहीं किया गया तो अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 प्रार्थी/वादी को भूमि वादग्रस्त के मौके से जबरिया बेदखल कर देंगे तथा बिना विभाजन के ही भूमि वादग्रस्त को छोटे–छोटे भूखण्डों में विभक्त कर बेचान कर देंगे तथा अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा कर लेंगे जिससे प्रार्थी/वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कतई भी सम्भव नहीं होगी एवं परिणामस्वरूप पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता बढेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस कद पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त भूमि वर्णित मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र को बिना विधिवत विभाजन के किसी दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरित नहीं करे, ना ही प्रार्थी/वादी के निहित हिस्से एवं कब्जेकाश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार कोई मजाहमत या मदाहखलात पैदा करे, ना ही भूमि वादग्रस्त आराजीयात में निहित रास्ते को बन्द या अवरूद्ध करे, ना ही कोई कच्चा या पक्का निर्माण करे, ना ही खड्डे/नींव आदि खोदे, ना ही अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 अथवा अन्य द्वारा भूमि वादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र बाबत पेश किसी विक्रय पत्र या अन्य विलेख को ना तो स्वयं तस्दीक करे ना अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 उक्त भूमि वादग्रस्त के राजस्व रेकार्ड व मौके में किसी प्रकार की तब्दीली होने देवे तथा

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

ना ही उक्त कृत्य अप्रार्थी/प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैनं के जरिए करवायें।

अप्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त प्रकरण से पूर्व ही न्यायालय श्रीमान के समक्ष दो भिन्न भिन्न विचाराधीन है जिसके बावजूद भी न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने एवं मिन जवाबदाता को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारानों की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाद वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 196 के खसरा नं. 545, 546, 582, 584/1673 कुल किता 4 का रकबा 0.26 हैक्ट0 व खाता संख्या 197 के ख0न0 566/1674, 576, 577, 578, 579, 580, 583, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 699/1714 कुल किता 15 का कुल रकबा 2.13 हैक्ट0 वाके ग्राम महारकलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित होना व प्रार्थी का 1/8 भाग निहित होना व प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के मद संख्या 4 में भूमि पर सभी पक्षकारान अनुसार बाहमी बंटवारे अनुसार बांट रखी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अभी तक बंटवारा नही होने से प्रार्थी/वादी बंटवारा करवाना एवं तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरित नही करने प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा है। जिस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वह अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अर्से दराज भूमि वादग्रस्त सभी पक्षकारान द्वारा स्थायी बंटवारा किया जाकर प्रार्थी/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उक्त बंटवारे के सम्बन्ध में लिखावट दिनांकित 18.07.13 को निष्पादित किया जाकर उक्त लिखावट अनुसार काबिज होने एवं प्रार्थी/वादी ने गलत रूप से प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्वक सहखातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है कानून प्रार्थी/अप्रार्थी खातेदार काश्तकार को पाबन्द करवाने का हक नही होते हुए प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने के कथन का प्रस्तुत किया हो साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 ने भी जवाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर कथन किया हैं कि वादग्रस्त भूमि मौके पर बंटी हुई हैं, प्रार्थी ने सहखातेदारान को हैरान परेशान करने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया है, खारिज किया जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वबस अधिवक्तागण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर सभी खातेदारान ने अर्से दराज से स्थायी बंटवारा कर बांट रखी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वाद ग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में लिखित में बंटवारे बाबत लिखावट दिनांकित 18.07.13 को निष्पादित की हुई हैं, जिनके प्रत्युत्तर में प्रार्थी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं ना ही उक्त लिखावट से इनकार किया है। प्रार्थी वादी का मूल वाद भी प्रा0 डिक्री किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि का तकासमा नही होने तक वाद बाहूल्यता नही बढे ऐसे में प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.6.16 से ताफैसला वाद स्थाई किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है तथा आदेश दिया जाता हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित लिखावट दिनांकित 18.07.13 अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेंगे एवं लिखावट अनुसार यथास्थिति बनाये रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2017 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट मुख्यालय में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner